न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—98/2014/223 (2014/00167)

1. कालू पुत्र भंवरू,
2. रूपा पुत्र भंवरू,
3. छोटू पुत्र भंवरू,
4. शिवकरण पुत्र भंवरू (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— श्रीमती नौसर बेवा शिवकरण,
   4/2— हीरालाल पुत्र शिवकरण,
5. झणकारी बेवा भंवरू,
6. श्रीमती चूकी पुत्री भंवरू पत्नि मोहन,
   समस्त जाति जाट, नि0 लेसवा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. श्रीमती फूली पुत्री भंवरू, पत्नि चतराम, जाति जाट, नि0 टहला, तह0 डेगाना, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शंकर पुत्र नानू,
2. तेजा पुत्र सुवा,
   जाति जाट, नि0 लेसवा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन ।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुष्कर, उप—तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगऩ, दिनांक 29.1.2014 अंतर्गत वाद संख्या 31/2011 .

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एवं 4 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः—31.12.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसंगऩ के निर्णय दिनांक 2629.1. 2014 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जसवंतपुरा, तह0 पीसांगन में आधारभूत खसरा संख्या 1881/2327 रकबा 0.89 है0, खसरा संख्या 1881 रकबा 0.75 है0, खसरा संख्या 1881/2328 रकबा 0.10 है0, खसरा संख्या 1881/2329 रकबा 1.69 है0, खसरा संखय 1881/2499 रकबा 0.01 है0 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी काश्तकारी की आराजियात है । उक्त आराजियात खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2019 के अनुसार चौसाला खसरा संख्या 2122 रकबा 22—7—10 बीघा

नानू वल्द लादू (प्रतिवादी संख्या 1 के पिता) तथा भंवरा वल्द श्योलाल वादीगण के पूर्वज तथा किशना पुत्र सवाई पुत्रान श्योदान व प्रतिवादी संख्या 1 शंकेर पुत्र नानू के पिता लादू सगे भाई थे एवं उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । इसी कारण चौसाला खसरा नंबर 2122 रकबा 22–7–10 बीघा के आधारभूत खसरा नंबर 1881/2327 रकबा 0.89 है0, शंकर पुत्र नानू, आधारभूत खसरा नंबर 1881 रकबा 0.75 है0, तथा खसरा संख्या 181/2328 रकबा 0.10 है0 जेजा पुत्र सवाई, खसरा नंबर 1881/2329 रकबा 1.69 है0 तथा खसरा नंबर 1881/2499 रकबा 0.01 है0 वादीगण के पूर्वज भंवरू पुत्र श्योलाल की आराजियात है । उपरोक्तानुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आधारभूत खसरा नंबर 1881/2327 रकबा 0.89 है0 शंकर पुत्र नानू तथा खसरा नंबर 1881 रकबा 0.75 है0 एवं 1881/2327 रकबा 0.89 है0 शंकर पुत्र नानू तथा ख्सरा नंबर 1881 रकबा 0.75 है0एवं 1881/2328 रकबा 0.10 है0 आराजी तेजा पुत्र सवाई के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन वादीगण के हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि उक्त आराजियात पर चाह खसरा नंबर 1881/2499 रकबा 0.01 है0 किस्म चाह तथा वादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि पर वादीगण द्वारा ट्यूबवेल भी बनाया गया है जिस पर वादीगण के पूर्वजों के नाम विद्युत कनेक्शन भी जारी है । विगत 50 वर्षो से वादीगण तन्हा रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है जसमें वादीगण मय परिवार निवास करते है, को गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई है जिसकी दुरूस्ती की जाकर विपरीत कब्जे के आधार पर वादीगण को बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे साथ ही चौसाला खसरा संख्य 2122 का आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है अतः वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही अभिलेख मे भूमि की किस्म, मूल्य एवं लगान के अनुसार न्यायिक बंटवारा किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर तथा प्रतिवादी संख्या 2 सरकार पेरोकार से जवाब प्राप्त कर निर्णय दिनांक 29.1.2014 को वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ था एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किए जाने बाबत् कोई उज्र एवं ऐतराज प्रकट नहीं किया गया था एवं राज्य सरकार द्वारा भी किसी प्रकार का वाद पत्र के विपरीत कथन नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध विपरीत कब्जे के आधार पर वाद डिक्री करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने साक्ष्य अधि0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलांटस का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2017 लगायत 2019 प्रदर्श पी–5, संवत् 2021 लगायत 2024 पी–6 तथा संवत् 2025 लगायत 2028 प्रदर्श पी–7 प्रस्तुत किये थे एवं वादग्रस्त आराजी पर के पूर्वजों के नाम लिया गया विद्युत कनेक्शन का बिल प्रदर्श 13 लगायत 16 पेश

किये थे जिनसे वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त सिद्ध था एवं उक्त साक्ष्य के विपरीत प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं न ही यह साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकट हुई थी कि उक्त बोरिंग वादीगण के पूर्वजों द्वारा खुदवाया नहीं गया हो इसके बावजूद अधी0न्यायालय ने उपरोक्त ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदाज कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने में भारी त्रुटि कारित की है । अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि यदि अधी0न्याया0 राज्य सरकार को मुद्रांक/राजस्व की हानि का प्रकरण अदृश्य रूप से मानते थे तो अपीलांटस के हिस्से की आराजियात की डी0एल0सी दर के अनुसार पंजीकरण शुल्क हेतु अपीलांटस/वादीगण को आदेश दे सकते थे जिसके लिये वादीगण तैयार थे लेकिन अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.1.2014 निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने चौसाला खसरा नंबर 212 बाबत् वाद प्रस्तुत कर खातेदारी उद्घोषणा एवं बंटवारे का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद इस आधार पर निरस्त किया है कि आधारभूत खसरा नंबर 1881/2328 रकबा 0.10 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड तेजा वल्द सुवा कौम जाट के नाम दर्ज है जबकि वादीगण द्वारा वादपत्र में तेजा को पक्षकार नहीं बनाया गया है जा कि आवश्यक पक्षकार है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि वादीगण ने विवादित भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त हो । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि आवश्यक पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है इस संबंध में न्यायालय हाजा का मत है जब अधी0न्याया0 के ध्यान में यह तथ्य आ चुका था तो अधी0न्याया0 वादीगण को इस संबंध में आवश्यक पक्षकार तेजा को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त करने हेतु हिदायत दे सकते थे किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त तथ्य आने के बावजूद वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । जहां तक अपीलांटस/वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का निष्कर्ष है इस संबंध में अपीलांटस का कथन रहा है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ासरा गिरदावरी संवत् 2017 लगायत 2019 प्रदर्श पी–5, संवत् 2021 लगायत 2024 पी–6 तथा संवत् 2025 लगायत 2028 प्रदर्श पी–7 प्रस्तुत किये थे एवं वादग्रस्त आराजी पर के पूर्वजों के नाम लिया गया विद्युत कनेक्शन का बिल प्रदर्श 13 लगायत 16 पेश किये थे जिनसे वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त सिद्ध था किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर बिना परीक्षण के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय उक्त खसरा गिरदावरियों के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । जहां तक अपीलांटस का यह तर्क कि यदि अधी0न्याया0 राज्य सरकार को मुद्रांक/राजस्व की हानि का प्रकरण अदृश्य रूप से मानते थे तो अपीलांटस के हिस्से की आराजियात की डी0एल0सी दर के अनुसार पंजीकरण शुल्क हेतु अपीलांटस/वादीगण को आदेश दे सकते

थे जिसके लिये वादीगण तैयार थे इस संबंध में न्यायालय हाजा का मत है यह अधी0न्याया0 के विवेकाधिकार है जिसके संबंध में हम कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.1.2004 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को पुनः परीक्षण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का निर्णय दिनांक 29.1.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आवश्यक पक्षकार को वाद में नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर